सार-समाचार

शराब ठेके पर फायरिंग, पीसी रिमांड के बाद दोनों को भेजा जेल

सादुलपुर (निसं)। राजगढ़ कस्बे के सांखू तिराहे पर स्थित शराब ठेके पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो अज्ञात शूटरों की राजगढ़ थाना पुलिस द्वारा जेल में शिनाख्त परेड करवाकर दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर पुलिस रिमांड समाप्त होने पर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। घटना के दोरान पुलिस को अनुसंधान में फायरिंग मामले मे सीसीटीवी फुटेज मिली थी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे मिली जानकारी में अनुसंधान अधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि प्रकरण में सांखू फाटक पर स्थित शराब ठेके पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो अज्ञात शूटर अंकित उर्फ बिल्ला उम्र 22 साल पुत्र सुनील, तथा लक्ष्य उर्फ मोनू उम्र 2० साल पुत्र विकास, निवासीगण रानीला, थाना बोन्द कला, जिला चरखी दादरी (हरियाणा) की जेल में शिनाख्त परेड की कार्यवाही करवा दोनों शूटरों ने को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद फायरिंग मामले में पुछताछ हेतु उक्त दोनों शूटरों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था, तथा रिमांड अवधी समाप्त होने के बाद दोनों को जेलभ्भेज दिया है। गौरतलब है कि०9 अक्टूबर के 2:25 को शहर के सांखू तिराहे के पास स्थित शराब ठेके पर दो अज्ञात अपराधियों ने अवैध हथियार से फायरिंग कर धमकी दी और मौके से फरार हो गए थे।

किसानों ने 'ग्रीन एक्सप्रेसवे' योजना के विरोध में जताई नाराजगी

पाटन (निसं)। ग्रीन एक्सप्रेस वे को लेकर किसानों का गुस्सा आज डोकण के अटल सेवा केंद्र में साफ झलक गया। उपखण्ड अधिकारी राजबीर यादव ने अटल सेवा केन्द्र डोकन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान किसानों की समस्याओं और मंशा को समझा। किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव यादव, प्रदेश संगठन मंत्री गोवर्धन सिंह तेतरवाल और नीमकाथाना तहसील अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। सभी किसानों ने जोर देकर कहा कि वे किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं देंगे। किसान प्रतिनिधियों ने उपखण्ड अधिकारी को मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का आग्रह किया। इसके साथ ही किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रीन एक्सप्रेस वे योजना को निरस्त करने की मांग की गई। किसान महापंचायत ने साफ किया कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।विरोध प्रदर्शन में सरपंच बलराम गुर्जर, हरिराम गुर्जर, महावीर यादव, टोडा राम, महावीर गुर्जर, फूलाराम गुर्जर, शंकर लाल मीणा, जय सिंह सहित सैकड़ों किसान शामिल रहे।

ट्रस्ट की नितियों के विरोध में चल रहे धरने को 51 दिन पूरे, 11 को आमसभा

खेतड़ी (निसं)। खेतड़ी में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और आम रास्तों को अवरुद्ध करने के विरोध में चल रहा जनांदोलन अब तेज होने लगा है। पिछले कई दिनों से एसडीएम कोर्ट के बाहर जारी धरने पर बैठे लोगों ने 51 दिन पूरे होने पर विरोध जताया। इस। दौरान ग्रामीणों ने 11 मई को भी को मुख्य बाजार में आमसभा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। खेतड़ी जनसेवा समिति के गोकुलचंद सैनी ने बताया कि खेतड़ी कस्बा रियासत कालीन समय के विश्व प्रसिद्ध कस्बा है। रियासत कालीन समय से खेतड़ी में अनेक भवनों, महल एवं किलों का निर्माण करवाया गया था। भोपालगढ़ किला भी ऐतिहासिक रूप से रियासत कालीन समय में बनाया गया था, जिसका उपयोग तत्कालीन समय में सामरिक एवं रिहायसी निवास के लिए किया जाता था। भोपालगढ़ ग्राम में आज भी लोग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ट्रस्ट के लोगों ने कब्जा करने का प्रयास करते हुए मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। भोपालगढ़ किले के मुख्य द्वार पर गेट लगाने को लेकर क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। इसके अलावा खेतड़ी कस्बे में कई स्थानों पर ट्रस्ट ने कब्जा कर आवागमन के रास्ते में दिवार बनाकर रास्तों को बंद किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने भोपालगढ़ मार्ग पर लगे अवैध गेट को तुरंत हटाया जाने, व्यापारियों और ग्रामीणों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाने, सार्वजनिक संपत्तियों और प्राचीन मंदिरों पर ट्रस्ट के हस्तक्षेप को रोका जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि यदि प्रशासन ने जल्द मामले में गंभीरता नहीं दिखाई तो ग्रामीणों की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

वक्फ जमीन पर रातों-रात कब्जे का खेल, न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रशासन मौन

- **भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, जमाबंदी में नोट दर्ज कराने की गुहार, अवैध निर्माण रोकने की मांग; जिला वक्फ कमेटी ने तहसीलदार को लिखा पत्र**

झुंझुनूं (निसं)। शहर में वक्फ संपत्तियों पर कथित अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिला वक्फ कमेटी झुंझुनूं ने तहसीलदार को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद वक्फ भूमि पर रातों-रात कब्जे और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे बैठा है।

कार्यालय जिला वक्फ कमेटी झुंझुनूं की ओर से 7 मई 2026 को जारी पत्र में माननीय वक्फ न्यायाधिकरण के प्रकरण संख्या 60/2004 दरगाह कमरूद्दीन शाह बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि न्यायालय ने संबंधित भूमि को वक्फ संपत्ति मानते हुए वादी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश दिए थे, इसके बावजूद कथित अतिक्रमणकारी सक्रिय हैं।

पत्र के अनुसार संबंधित खसरा नंबर 543 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नंबर 536 रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि को लेकर विवाद के बावजूद कथित रूप से चारदीवारी निर्माण और अन्य पक्के निर्माण किए जा रहे हैं।

जिला वक्फ कमेटी ने इसे न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना बताते हुए जमाबंदी में न्यायालय निर्णय का नोट दर्ज कराने की मांग उठाई है, ताकि भविष्य में भूमि से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यदि न्यायालय का आदेश मौजूद है तो फिर आखिर किसके संरक्षण में कथित अतिक्रमण जारी है? क्यों जिम्मेदार विभाग मौके पर कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं? क्या प्रशासन को किसी बड़े विवाद या टकराव का इंतजार है? पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कथित कब्जाधारी रात के अंधेरे में निर्माण कार्य कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के बीच भी यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर सरकारी तंत्र की निगरानी व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हो गई कि संवेदनशील भूमि पर खुलेआम गतिविधियां चलती रहीं और कार्रवाई कागजों तक सीमित रही। जिला वक्फ कमेटी ने तहसील प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित कराते हुए अवैध निर्माण तत्काल रुकवाया जाए तथा संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज कर भविष्य में कब्जे के प्रयासों पर रोक लगाई जाए। पत्र की प्रति आयुक्त नगर परिषद झुंझुनूं को भी भेजी गई है।

अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि न्यायालय के आदेशों के बावजूद हालात नहीं बदलते, तो यह मामला आने वाले दिनों में बड़ा प्रशासनिक और कानूनी विवाद बन सकता है।

कर्मचारी हितों के लिए बैठक सम्पन्न

नोहर (निसं)। यहां राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रांतीय आव्हान पर शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा नोहर के तत्वावधान मे बुधवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्राह्मणवासी सहित विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आरजीएचएस योजना में इलाज व दवाइयां बंद होने, समर्पित अवकाश(पीएल) भुगतान पर रोक, ग्रीष्मावकाश कटौती जैसे शिक्षक एवं कर्मचारी हितों के खिलाफ लिए जा रहे। निर्णय के विरोध में शिक्षकों ने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया।

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक : नपह/भूमि (कृषि) /2026/1261 दिनांक: 08/05/2026

-: आपत्ति सूचना :-

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि इस कार्यालय में प्रार्थी M/s City Center Market through Partner श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बलराम सोनी निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चक नं. 49 एनजीसी 126/264 मु0न0 53 किला नं. 24/1/0.051, 25/1/0.051 व पत्थर नं. 126/265 मु0न0 56 किला नं. 2/0.1885, 3/0.253, 4/0.253, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.1885 कुल 1.997 हैक्टयर भूमि के पूर्व में स्वीकृत आवासीय ले-आउट प्लान में संशोधन की मांग की गई है। श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी/आयुक्त नगरपरिषद् हनुमानगढ़ द्वारा जरिये ऑनलाईन क्रमांक 103349 दिनांक 28.05.2025 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की गई है। उक्त भूमि का ले-आउट प्लान, ले-आउट कमेटी द्वारा जरिये क्रमांक 2680 दिनांक 20.06.2025 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया गया। नगरपरिषद क्रमांक 4029 दिनांक 28.07.2025 द्वारा भूमि का कार्यालय आदेश (अधिवास प्रमाण-पत्र) जारी किया गया है। आवेदक/खातेदार द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र पेश किया गया है कि पूर्व में स्वीकृत नक्शा के अनुसार उक्त कॉलोनी में हमारे द्वारा किसी भी भूखण्ड का ना तो आवंटन-पत्र जारी किया गया है व ना ही नगरपरिषद हनुमानगढ़ से कोई पट्टा-विलेख जारी करवाया गया है।' खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि का संशोधित ले-आउट प्लान नगरपरिषद कार्यालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। किसी भी कार्य दिवस में अवलोकन किया जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में किसी भी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो उक्त सूचना प्रकाशन होने की तिथि के 7 दिवस में इस कार्यालय को सूचित करें बाद गुजरने मियाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त, नगरपरिषद, हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज)

क्रमांक :- न.पा.रा./भू./2025/2063 दिनांक :-13.11.2025

आपति आमत्रंण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सावित्री पति श्री कालुराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं.22 रावतसर जिला हनुमानगढ ने दानपत्र से प्राप्त भूखण्ड के दस्तावेजों की फोटोप्रति प्रस्तुत कर आवासीय भूखण्ड साईज 236.46 वर्गमीटर का नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है जिसका मूल पटटा नगरपालिका रावतसर द्वारा श्री अमीलाल पुत्र श्री निकुराम के नाम से साईज 565.15 वर्गमीटर का जारीशुदा है। श्री अमीलाल ने उक्त भूखण्ड में से साईज 236.46 वर्गमीटर अपनी पुत्रवधु श्रीमती सावित्री पति श्री कालुराम को दान कर दिया। जिसका नामान्तरण अपने नाम से नामान्तरण पालिका रिकोर्ड में दर्ज करवाना चाहती है। अतः उक्त आवासीय भूखण्ड का नामान्तरण दर्ज करने में अगर किसी को कोई आपति हो तो इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन होने के 07 दिवस की अवधि में अपनी आपति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपती पर कोई विचार नही किया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका रावतसर

एलईडी वैन से होगा योजनाओं का प्रचार-प्रसार

सीकर (निसं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कृषकों, पशुपालकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए संचालित ग्राम रथ अभियान 2026 के अंतर्गत जिले की आठों विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी वैन के माध्यम से विभिन्न ग्राम पंचायतों में आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि 9 मई को फतेहपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नबीपुरा, दीनवा लाड़खानी, लक्ष्मणगढ़ की घाना, सिंगडोला बड़ा आदि में एलईडी वैन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

रेलवे स्टेशन मार्ग पर मौत का ट्रांसफार्मर

- **खुले में खड़ा हाई वोल्टेज खतरा, मंडी स्कूल के विद्यार्थियों की जान सांसत में; निगम और प्रशासन बेखबर**

सूरजगढ़ (निसं)। कस्बे के रेलवे स्टेशन रोड़ मार्ग पर रेल बाउंड्री के समीप खुले में लगा विद्युत ट्रांसफार्मर कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। आबादी क्षेत्र और मुख्य मार्ग पर बिना सुरक्षा घेरा लगाए रखा गया यह ट्रांसफार्मर आम राहगीरों के साथ-साथ नजदीकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और स्थानीय प्रशासन आंखें मूंदे बैठे हैं।

स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय आने-जाने वाले सैकड़ों विद्यार्थी प्रतिदिन इसी मार्ग से गुजरते हैं। ट्रांसफार्मर खुले में होने से हर समय करंट फैलने या किसी अप्रिय हादसे की आशंका बनी रहती है। अभिभावकों ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों और पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि को इस गंभीर समस्या से अवगत करवाकर ट्रांसफार्मर के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाने की मांग की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर भारी रोष है कि कस्बे का यह अत्यंत व्यस्त और संवेदनशील मार्ग होने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार विभाग पूरी तरह उदासीन बने हुए हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि जब इसी मार्ग से रोजाना अधिकारी और कर्मचारी रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, तब भी इस जानलेवा खतरे को नजरअंदाज करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वार्डवासियों ने कहा कि उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, अधिशाषी अधिकारी, पुलिस सीआई सहित कई जिम्मेदार अधिकारी रेलवे स्टेशन परिसर के आसपास बैठते हैं, लेकिन किसी ने भी अब तक इस खुले ट्रांसफार्मर को सुरक्षित करवाने की पहल नहीं की। लोगों का आरोप है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। स्थानीय नागरिकों, अभिभावकों और विद्यालय स्टाफ ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता तथा स्थानीय प्रशासन से तत्काल ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाने और इसे स्थाई रूप से आबादी क्षेत्र से हटाने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और विद्युत निगम की होगी।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांकः LU2012/SIK/2026-27/100755 **लोक सूचना** दिनांकः08/05/2026

श्री KAILASH CHAND पुत्र श्री HAR DAYAL RAM जाति JAAT निवासी DAHAR KA BAS, TEH.-NECHWA, DISTT.- SIKAR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	KAILASHCHAND S/O HAR DAYAL RAM	1666/13	2365	0.0236
2.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	KAILASHCHAND S/O HAR DAYAL RAM	1674/14	2455	0.0246
				कुल	0.0482

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08-05-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांकः LU2012/SIK/2026-27/100756 **लोक सूचना** दिनांकः08/05/2026

श्री JITENDRA SINGH RATHORE पुत्र श्री PURAN SINGH जाति RAJPUT निवासी VILLAGE-SUJANPURA, TEH. DHOD, DISTT.- SIKAR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	JITENDRA SINGH RATHORE S/O PURAN SINGH	1668/13	2445	0.0244
2.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	JITENDRA SINGH RATHORE S/O PURAN SINGH	1675/14	2430	0.0243
				कुल	0.0487

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08-05-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

पेयजल संकट और भ्रष्टाचार की जांच की मांग, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

- **बैठक के पश्चात किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा**

नोहर, (निसं)। चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के बीच नोहर तहसील के किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान संघ (तहसील शाखा, नोहर) की एक महत्वपूर्ण बैठक पूर्व सरपंच हनुमान प्रसाद आर्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। बैठक के पश्चात किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा।

किसानों ने प्रशासन का ध्यान मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया। भीषण पेयजल संकट, दूरजाना सहित क्षेत्र के दर्जनों गांवों में पानी की भारी किल्लत है। किसानों ने मांग की है कि इस भीषण गर्मी में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और भविष्य के लिए पर्याप्त जल भंडारण के पुख्ते इंतजाम हों। मेघाना माइनर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसानों ने मेघाना माइनर के निर्माण में अमानक सामठी के इस्तेमाल पर कड़ा रोष जताया। आरोप है कि घटिया निर्माण के कारण पहली बार पानी छोडते ही माइनर टूट गई। किसानों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच समिति से जांच कराकर दोबारा सही निर्माण करवाने की मांग की है और स्थानीय मंडियों में गेहूं की आवक को देखते हुए खरीद की मात्रा बढ़ाकर 5 लाख बैग करने का आठाह किया गया है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में असुविधा न हो।

"इस भीषण गर्मी में इंसान और पशु दोनों पानी के लिए त्रस्त हैं प्रशासन को कागजी घोड़े दौड़ाने के बजाय धरातल पर समाधान करना होगा।" इस दौरान संगठन की मजबूती और किसानों की एकता पर बल दिया गया। ज्ञापन देते वक्त यह रहे उपस्थित राजेंद्र सिहाग (अध्यक्ष भारतीय किसान संघ),पृथ्वी साहू (महामंत्री) गंगाराम बेनीवाल (उपाध्यक्ष) प्रताप सहारण, प्रेम गोदारा, हरिराम सुथार।

पालिका टीम रेस्क्यू में फेल, दहशत में मोहल्ला, घरों में कैद हुए बच्चे

सादुलपुर (निसं)। नगरपालिका क्षेत्र राजगढ़ के वार्ड 33 में पिछले दो दिन से खच्चरों का आतंक चरम पर है। गुरुवार दोपहर सफेद रंग के बौराए खच्चर ने गली में खेल रहे ०8-1० वर्षीय लक्की शर्मा और वेल्डिंग कारीगर रामावतार शर्मा पर हमला कर कई जगह नोच डाला। वहीं खच्चर के आंतक की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरूवार शाम सात बजे दी जानकारी में प्रत्यक्षदर्शी राजेश शर्मा ने बताया, लक्की शर्मा मेरी दुकान से सामान लेने आ रहा था। तभी तीन खच्चरों का झुंड आया। सफेद खच्चर ने अचानक बच्चे को दबोच लिया और दो-तीन जगह काट लिया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांकः LU2012/SIK/2026-27/100753 **लोक सूचना** दिनांकः08/05/2026

श्री UPENDRA JANGIR पुत्र श्री SUKHDEV PRASAD JANGIR जाति JANGIR निवासी VILLAGE-PALTHANA, TEH.SIKAR GRAMEEN & DISTT. SIKAR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	UPENDRA JANGIR S/O SUKHDEVPRASAD JANGIR	1664/13	2285	0.0228
2.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	UPENDRA JANGIR S/O SUKHDEVPRASAD JANGIR	1672/14	2400	0.024
				कुल	0.0468

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08-05-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

कथावाचक महाराज जी का किया सम्मान

- **शबरी के जूठे बेरों में झलकी भक्ति की पराकाष्ठा, धर्मदास महाराज बोले- प्रभु प्रेम नहीं, भाव देखते हैं**

झुंझुनूं (निसं)। शहर के चुना चौक स्थित रामलीला मैदान, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एवं पुरोहितों की बगीची के सामने रानी सती रोड पर आयोजित भव्य रामकथा में शुक्रवार को भक्ति, करुणा और प्रभु प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा स्थल पर बडी संख्या में श्रद्धालु उमडे और भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों का श्रवण कर भावविभोर हो उठे। कथा संयोजक महेश बसावतिया ने बताया कि रामकथा में केवट, शबरी एवं सुग्रीव जैसे रामायण के प्रमुख पात्रों के माध्यम से प्रभु श्रीराम की करुणा, भक्तवत्सलता और भक्तों के प्रति उनके प्रेम का मार्मिक वर्णन किया जा रहा है। कथा के दौरान पूरा पांडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। कथावाचक धर्मदास महाराज ने शबरी भक्ति प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि भगवान केवल प्रेम और सच्ची भक्ति के भूखे होते हैं, बाहरी आडंबर के नहीं। महाराज ने बताया कि शबरी, जो मतंग मुनि की परम शिष्या थीं, वर्षों तक प्रभु श्रीराम की प्रतीक्षा करती रहीं। जब भगवान राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया पहुंचे तो शबरी प्रेमवश बेरों को चख-चखकर प्रभु को खिलाने लगीं। भगवान श्रीराम ने भी भक्त के निष्कलंक प्रेम को स्वीकार करते हुए उन बेरों को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। धर्मदास महाराज ने आगे नवधा भक्ति का विस्तृत वर्णन करते हुए बताया कि भगवान श्रीराम ने शबरी को भक्ति के नौ स्वरूपों का उपदेश देकर उसे मोक्ष प्रदान किया। इसके पश्चात महाराज ने हनुमान मिलन प्रसंग सुनाते हुए कहा कि हनुमानजी ब्राह्मण वेश धारण कर प्रभु श्रीराम से मिले और उन्हें सुग्रीव के पास लेकर गए, जहां अग्नि को साक्षी मानकर राम-सुग्रीव की मित्रता संपन्न हुई।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास में कूलर भेंट किए

नोहर (निसं)। यहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास चक राजासर में केशव बागड़ी पुत्र स्व. शशिकांत बागडी द्वारा छात्राओं की सुविधा हेतु 2 कूलर भेंट किये गये। भीषण गर्मी को देखते हुए यह पहल छात्राओं के लिए राहत भरी साबित होगी।

कार्यक्रम के दौरान छात्रावास प्रशासन एवं स्टाफ ने भामाशाह व भामाशाह प्रेरक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सहयोग से छात्राओं को बेहतर वातावरण में अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर छात्रावास प्रशासन के द्वारा बच्चियों को स्टेशनरी व आधारभूत सुविधाओं का वितरण भी किया गया। छात्रावास की छात्राओं ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में कूलर मिलने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर केजीबीवी नोडल प्रचानाचार्य श्रीमती आरती कौशिक वार्डन अनुराधा विजेन्द्र कंकर सुधा सुमन प्रीति श्रवण भामाशाह प्रेरक अनिल चौमवाल एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में भामाशाह ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए, जिससे बेटियों का भविष्य उज्जवल बन सके।

तम्बाकू मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान पर कमलेश तेतरवाल को राष्ट्रीय सम्मान

झुंझुनूं/प्रतापगढ़ (निसं)। जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य डाइट प्रतापगढ़ कमलेश कुमार तेतरवाल का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित टोबैको फ्री इंडिया अवार्ड-2025 के लिए चयन हुआ है। यह सम्मान उन्हें तम्बाकू मुक्त भारत अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12 मई 2026 को मुंबई स्थित यशवंतराव चौहान सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार नरोत्तम शेखसरिया फाउंडेशन द्वारा देशभर में तम्बाकू एवं धूम्रपान विरोधी जनजागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिया जाता है। इस वर्ष पूरे देश से छह व्यक्तियों तथा चार संस्थाओं का चयन किया गया है, जिनमें राजस्थान से चयनित होने वाले एकमात्र व्यक्तित्व कमलेश तेतरवाल हैं।

तेतरवाल पिछले लगभग 20 वर्षों से धूम्रपान एवं तम्बाकू जनित उत्पादों के खिलाफ जनजागरूकता अभियान चला रहे हैं। विशेष रूप से झुंझुनूं, चूरू, सीकर और प्रतापगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त एवं धूम्रपान निषेध क्षेत्र बनाने की दिशा में उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। समारोह में उन्हें 25 हजार रूपये का चैक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तेतरवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से तम्बाकू नियंत्रण अभियान को जनआंदोलन का रूप दिया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांकः LU2012/SIK/2026-27/100754 **लोक सूचना** दिनांकः08/05/2026

श्री MADAN LAL पुत्र श्री UDARAM जाति JAAT निवासी VILLAGE - NAGWA, TEH. DHOD & DISTT.-SIKAR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	MADAN LAL S/O UDARAM	1663/13	1700	0.017
2.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	MADAN LAL S/O UDARAM	1671/14	1785	0.0178
				कुल	0.0348

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08-05-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांकः LU2012/SIK/2026-27/100757 **लोक सूचना** दिनांकः08/05/2026

श्री BADRI PRASAD पुत्र श्री GANESH RAM जाति JANGIR निवासी KHATIYON KA MOHALLA, WARD NO.35, TEH. & DISTT. SIKAR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	BADRI PRASAD S/O GANESH RAM JANGIR	1670/13	2210	0.0221
2.	कंवरपुरा, सीकर ग्रामीण (सीकर)	BADRI PRASAD S/O GANESH RAM JANGIR	1676/14	1070	0.0107
				कुल	0.0328

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08-05-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सीकर

इंसानियत एकता सेवा समिति ने मनाया सातवां स्थापना दिवस

चूरू (निसं)। जिला मुख्यालय स्थित नया बस स्टैण्ड पर एक होटल में इंसानियत एकता सेवा समिति का सातवां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। समिति के छः वर्ष पूरे होने पर समिति सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर समिति ने राजकीय डीबी अस्पताल में दो सीमेंटेड बैंच रखने, मरीजों और परिजनों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करने सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इब्राहीम सोलंकी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजसेवी मो. रफीक राजगढ़िया ने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए इनसे प्रेरणा लेने का आ ान किया। इस मौके पर संस्थापक करामत खान उर्दू अदीब ने स्थापना दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समिति द्वारा पिछले छः वर्षों में सामाजिक सरोकार में सफलतापूर्वक विभिन्न नेक कार्य किए गए।

सिंघाना के सामुदायिक अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम

- **चारदीवारी व पानी की कोई व्यवस्था नहीं**
- **आनन फानन में कर दिया नए भवन में स्थानांतरित**

सिंघाना (निसं)। सिंघाना के सामुदायिक अस्पताल को नए भवन में संचालित तो कर दिया गया, लेकिन यहां अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। अस्पताल परिसर में चारदीवारी नहीं होने से सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है, वहीं पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से सिंघाना के सामुदायिक अस्पताल के लिए औद्योगिक क्षेत्र के पास नया भवन बनाया है। अस्पताल के अभी तक चार दिवारी व पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। वर्तमान में अस्पताल मुख्य बाजार स्थित धर्मशाला में संचालित किया जा रहा था, जहां भीड़-भाड़ अधिक होने के कारण व अस्पताल परिसर में विस्तार नहीं होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नया भवन बनने के बाद भी अस्पताल में आने वाले लोगों को बेहतर उपचार के साथ सुविधाओं का दर्द भी मिल रहा है। बुहाना प्रधान हरिकृष्ण यादव, पालिका अध्यक्ष विजय कुमार पांडे का कहना है कि अस्पताल को आनन-फानन में नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि भवन में कई जरूरी कार्य अधूरे पड़े हैं। अस्पताल परिसर खुला होने के कारण आवारा पशु भी अंदर तक पहुंच जाते हैं, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। रात के समय सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है। वहीं पानी की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों, स्टाफ और आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बाहर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है।

ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने बिना पर्याप्त तैयारियों के अस्पताल संचालन शुरू कर दिया। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जल्द चारदीवारी निर्माण, पेयजल व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, ऐसे में सुविधाओं की कमी गंभीर समस्या बनती जा रही है। अस्पताल के ने भवन में चोरी होने के बाद भी सुरक्षा भगवान भरोसे – रिको एरिया में राज्य सरकार द्वारा अस्पताल का नया भवन बनाएं जाने के बाद भी सुरक्षा के कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। मार्च माह में अज्ञात लोगों ने सीएचसी भवन में घुसकर कमरों के ताले तोड़कर बिजली के बोर्ड, एमसीबी, वायरिंग एवं अन्य फिटिंग्स को चोरी कर ले गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के सुचारू संचालन पर भी असर पड़ने की आशंका है, चोरों ने सीएचसी भवन में तोडफोड़ व चोरी की वारदात की घटना को अंजाम दिया था। इसके बावजूद भी चारदीवारी का निर्माण न करवाया गया। अस्पताल भवन पहाड़ी से सटा हुआ है तथा उसके पास जंगली एरिया भी है।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, राजगढ़ (चूरू)

E- Mail Address - eonp.sdlp@yahoo.in Fax &Phone :- 01559 – 222039

क्रमांक :–न.पा.रा. / 2021–22 / 1123 **आपति सूचना** दिनांक :– 09.07.2021

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र के द्वारा निम्नप्रकार पत्रावलीं की किस्म का आवेदन किया गया है। जिस किसी व्यक्ति को इस सबंध में आपति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में नगर पालिका कार्यालय में लिखित में पेश कर देवें। सम्पूर्ण जानकारी के लिए कार्यालय नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) में सम्पर्क करें। समयावधि निकलने के पश्चात आपति विचारानीय नही होगी। विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	पत्रावली संख्या	आवेदक का नाम	क्षेत्रफल	पत्रावली का प्रकार
01	2546 / 28.04.2026	श्री छोटूराम पुत्र श्री गुलाबचंद, वार्ड नं. 19 मोहल्ला घंटाघर के पास, राजगढ़(चूरू)।	32.10 वर्गमीटर	69क नियमन
02	6728 / 07.04.2026	श्रीमती मुकेश पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह, वार्ड नं. 36 राजगढ़ (चूरू)।	165.96 वर्गमीटर	कृषि भूमि नियमन (आवासीय)
03	6725 / 07.04.2026	श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह, वार्ड नं. 36, राजगढ़ (चूरू)।	172.16 वर्गमीटर	कृषि भूमि नियमन (आवासीय)
04	6726 / 07.04.2026	श्री मनदीप पुत्र जोगेन्द सिंह, वार्ड नं. 36, राजगढ़ (चूरू)।	181.19 वर्गमीटर	कृषि भूमि नियमन (आवासीय)
05	6666 / 03.09.2025	श्री विरेन्द्र पुत्र श्री सुरजभान, वार्ड नं. 29 नया 36 सिदमुख रोड़ के पास, राजगढ़ (चूरू)।	185.78 वर्गमीटर	कृषि भूमि नियमन (आवासीय)
06	07 / 22.01.2026	श्रीमती आशा पुनियां पत्नी राम प्रताप, निवासी वार्ड नं. 11, मौहल्ला बस स्टेण्ड के पास, डीवाईएसपी कोठी के पास, राजगढ़ (चूरू)	06.69 वर्गमीटर	खांचा भूमि नियमन (व्यवसायिक)
07	2548 / 04.05.2026	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी वार्ड नं 03 राजगढ़ (चूरू)	111.48 वर्गमीटर	69क नियमन (आवासीय)
08	93 / 06.10.2025	श्री सतपाल पुत्र मोहनराम, निवासी वार्ड नं. 02 नया 13 मौहल्ला युक्ता बिन्दल के पास राजगढ़ (चूरू)।	196.19 वर्गमीटर	कृषि भूमि नियमन (आवासीय)

राज.संवाद / सी / 26 / 2404 अधिशाषी अधिकारी